13.01.2022

आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.3.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी खाता सं0 163 ख0न0 247 रकबा 0.05 हे0, 30 रकबा 0.52 हे0, 58 रकवा 0.52 हे0, 64 रकबा 0.38 हे0, 70 रकबा 0.23 में से 1/12 भाग वाके ग्राम दादरहेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे आयन्दा दिनांक 16.3.22 को पेंश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

16-3-22 वकील पक्षकारान उप0। वास्ते जवाब एवं तामील शेष तरफ प्रतिवादीगण। दिनांक 20-4-22 को पेश हो।

20-4-22 वकील पक्षकारान उप0 वास्ते जवाब एवं तामील शेष अप्रार्थी दिनांक 13-7-22 को पेश हो।

13-7-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं~~/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 28-9-22
को पेश हो।

रीडर

28-9-22 वकील पक्षकारान उप०। वास्ते गौर तामील एवं जवाब दिनांक 02-11-22 को पेश हो।

2-11-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब मुख्यालय/दौरे में अन्य कार्य में व्यस्त हैं/शहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 16-11-22 को पेश हो।

रीडर

16-11-22 वकील पक्षकारान उप०। वास्ते गौर तामील एवं जवाब दिनांक को पेश हो।

16-11-22 पत्रावली पेश हुई। वादिया का मुकदमा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर शामिल मूल वाद रहे।